



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना चांदपुर

दिनांक 05.12.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 553/24 धारा 137(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.10.2024 को वादिनी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त नुकिल पुत्र देशराज निवासी ग्राम लिसाडी थाना धनौरा जनपद अमरोहा द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 553/24 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। दिनांक 25.10.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया।



कार्यवाही-

आज दिनांक 05.12.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 553/24 धारा 137(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त नुकिल पुत्र देशराज निवासी ग्राम लिसाडी थाना धनौरा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- नुकिल पुत्र देशराज निवासी ग्राम लिसाडी थाना धनौरा जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 राजेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 2-मुख्य आरक्षी 467 रामकुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।




जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना चांदपुर

दिनांक 05.12.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 674 / 24 धारा 109(1) / 115(2) / 352 / 351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.12.2024 को वादिनी श्रीमती मीना वर्मा पत्नी श्री मुकेश कुमार निवासी मौ0 कायसीन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त अक्षय वर्मा पुत्र मुकेश वर्मा (वादिनी का पुत्र) निवासी मौ0 कायस्थान कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट करता है तथा जान से मारने की कोशिश भी की। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 674 / 24 धारा 109(1) / 115(2) / 352 / 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

आज दिनांक 05.12.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अक्षय वर्मा पुत्र मुकेश वर्मा निवासी मौ0 कायसीन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- अक्षय वर्मा पुत्र मुकेश वर्मा निवासी मौ0 कायसीन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 मसरत हुसैन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 2-आरक्षी 2048 इंसाद खां थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना चांदपुर

दिनांक 05.12.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 452/24 धारा 379/411 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.09.2024 को वादी श्री सर्वेश सिंह पुत्र हेम सिंह निवासी मौ0 सुल्ताननगर थाना गजरौला जनपद अमरोहा ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.नीरज 2.बोबी पुत्रगण विजय निवासी ग्राम विसावली थाना बछरायु जनपद अमरोहा 3.हरेन्द्र पुत्र महीपाल 4. नीतू पुत्र महीपाल 5.प्रदीप पुत्र महीपाल निवासी ग्राम पट्टी खादर थाना धनौरा जनपद अमरोहा द्वारा चौधेडी नहर के पास बनी 710 मीटर लम्बाई की 11 के0वी0 लाईन चोरी की गयी।



तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 452/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 05.12.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त बोबी पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम बिसावली थाना बछरायुं जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नोट- दिनांक 07.09.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण 1. सलीम पुत्र अमीरुद्दीन नि0 ग्राम मुबारकपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 2- नीतू पुत्र महिपाल नि0 ग्राम पट्टी खादर थाना मण्डी धनौरा जनपद बिजनौर 3- तेजपाल पुत्र हरफूल सिंह नि0 ग्राम लखमीधर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर 4- नौशाद पुत्र निसार नि0 ओमरीपीर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- बोबी पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम बिसावली थाना बछरायुं जनपद अमरोहा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 राजेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2-आरक्षी 1905 जगदीश थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना धामपुर

दिनांक 05.12.2024

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 554/24 धारा 296/74/351(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 03.12.2024 को वादिया ने थाना धामपुर जनपद बिजनौर पर वादिया की पुत्री के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा छेडछाड, अश्लील फब्तियां व मोबाइल नम्बर की मांगने की मांग करना व वादिया की पुत्री के विरोध करने पर धमकी देने के संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 554/24 धारा 296/74/351(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कराया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त फैजान पुत्र सरफराज नि0 ग्रा0 जित्तनपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।



कार्यवाही:-

थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आए अभियुक्त फैजान पुत्र सरफराज नि0 ग्रा0 जित्तनपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

फैजान पुत्र सरफराज नि0 ग्रा0 जित्तनपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्यामपाल सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.का0 1045 पवन थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3.का0 2064 राजवीर थाना धामपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना रेहड़

दिनांक – 05.12.2024

थाना रेहड़ पुलिस एवं सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल की दुकान में हुई चोरी की घटना का अनावरण करते हुए हिस्ट्रीशीटर को चोरी किये गये 26 मोबाइल फोन, 04 स्मार्ट वॉच, 04 इयरबर्ड, 02 चार्जर, 02 आईपैड व ₹ 2500 नगद आदि सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.12.2024 को वादी श्री मैराज आलम पुत्र शफीक अहमद निवासी ग्राम हरवाला थाना रेहड़ जनपद बिजनौर ने थाना रेहड़ पर तहरीर दी कि बादीगढ़ चौराहे पर वादी की SK COMMUNICATION के नाम से मोबाइल की दुकान है । दिनांक 30.11.2024 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा दीवार काटकर वादी की दुकान से 50 मोबाइल फोन, कुछ नगदी व एसेसीरीज चोरी कर ली । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रेहड़ पर



मु0अ0सं0 132/2024 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु 02 टीमों का गठन किया गया ।

कार्यवाही –

थाना रेहड़ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त सोनू उर्फ सुहेल पुत्र शमीम अहमद निवासी मौ0 किला डूडा कॉलोनी कस्बा व थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त सोनू की निशादेही पर चोरी किये गये 26 मोबाइल फोन, 04 स्मार्टवॉच, 04 इयर बर्ड, 02 चार्जर, 02 आई-पैड, 2500 रुपये नगद आदि बरामद किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

नोट – अभियुक्त सोनू थाना अफजलगढ़ का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर है, जिसकी हिस्ट्रीशीट सं0 – 84(A) है ।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसने दिनांक 30.11.2024 को दिन में रैकी कर बादीगढ़ में स्थित एक मोबाइल की दूकान की पीछे से दीवार काटकर मोबाइलो की चोरी की थी, जिसमें 5,000 /- रुपये नगद भी मिले थे व करीब 02 माह पहले ग्राम भगतावाला में शिव मंदिर में रखा दान पात्र चोरी किया था, जिसमें से पैसे व चांदी का सिक्का निकालकर दानपात्र वही फेंक दिया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सोनू उर्फ सुहेल पुत्र शमीम अहमद निवासी मौ० किला डूडा कॉलोनी कस्बा व थाना अफजलगढ बिजनौर

बरामदगी –

चोरी किये गये 26 मोबाईल फोन (टच स्क्रीन), 04 स्मार्टवॉच, 04 इयर बर्ड, 02 चार्जर, 02 आईपैड व ₹ 1960 /- (संबधित मु०अ०सं० 132/2024 धारा 305(A)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना रेहड जनपद बिजनौर)

एक चाँदी का सिक्का व 540 /- रुपये नगद (संबधित मु०अ०सं० 121/2024 धारा 305(A)317(2) बीएनएस थाना रेहड जनपद बिजनौर)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 04/20 धारा 08/21 एनडीपीएस एक्ट थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2. मु०अ०सं० 364/20 धारा 380/457/411 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
3. मु०अ०सं० 011/21 धारा 420/414/411 भादवि व 41/109 सीआरपीसी थाना अफजलगढ बिजनौर
4. मु०अ०सं० 638/20 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
5. मु०अ०सं० 260/22 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
6. मु०अ०सं० 282/22 धारा 2ब(1) / 3 गैगस्टर एक्ट थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
7. मु०अ०सं० 109/24 धारा 379/411/420/465/470 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
8. मु०अ०सं० 121/24 धारा 305(ए)/334(2)/317(2) बीएनएस थाना रेहड जनपद बिजनौर
9. मु०अ०सं० 132/24 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना रेहड जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री किशन अवतार थाना रेहड जनपद बिजनौर
2. उ०नि० श्री विकास कुमार, प्रभारी सर्विलांस सेल जनपद बिजनौर
3. उ०नि० श्री भीम सिंह थाना रेहड जनपद बिजनौर
4. उ०नि० श्री रहीशपाल सिंह थाना रेहड जनपद बिजनौर
5. प्रशिक्षु उ०नि० श्री समयपाल सिंह थाना रेहड जनपद बिजनौर
6. प्रशिक्षु म०उ०नि० श्रीमति शैलजा कुशवाहा थाना रेहड जनपद बिजनौर
7. कां० मोनू सर्विलांस सेल जनपद बिजनौर
8. कां० 19 केशव कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर
9. कां० 1748 जिले सिंह थाना रेहड जनपद बिजनौर
10. कां० 1642 राजकुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर



BIJNOR POLICE



दिनांक – 05.12.2024

माह नवम्बर – 2024 में समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली – जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) पर प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण में पुलिस अधीक्षक, बिजनौर व जनपद के 20 थानों को प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

कार्यवाही –

शासन द्वारा संचालित जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) पर प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण में प्रदेश स्तर पर मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गयी है। पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (आईजीआरएस) के निकट पर्यवेक्षण में जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) पर जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी कार्यालय/थानों पर प्राप्त जनशिकायतों का गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध निस्तारण किया गया, जिसके फलस्वरूप शासन द्वारा प्रदेश स्तर पर निर्धारित की जाने वाली रैंकिंग में **माह नवम्बर – 2024 में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर व जनपद के 20 थानों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।** उक्त रैंकिंग प्रार्थना पत्रों के समयबद्ध निस्तारण, शिकायतकर्ता/आवेदक द्वारा दिये गये फीडबैक, प्रार्थना पत्रों की ऑनलाइन फीडिंग आदि मानको के आधार पर दी जाती है।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले थाना प्रभारियों व आईजीआरएस शाखा में नियुक्त अधि०/कर्म०गणों को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा।

क्र० सं०	थाना	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	रैंक
1	कोतवाली शहर	90	90	100 %	1
2	स्योहारा	90	90	100 %	1
3	नगीना	90	90	100 %	1
4	मंडावर	90	90	100 %	1
5	नूरपुर	90	90	100 %	1
6	नहटौर	90	90	100 %	1
7	बढापुर	90	90	100 %	1
8	हल्दौर	90	90	100 %	1
9	कोतवाली देहात	90	90	100 %	1
10	किरतपुर	90	90	100 %	1
11	अफजलगढ़	90	90	100 %	1
12	नगीना देहात	90	90	100 %	1
13	हीमपुर दीपा	90	90	100 %	1
14	शिवालाकलां	90	90	100 %	1
15	नांगल	90	90	100 %	1
16	मंडावली	90	90	100 %	1
17	महिला थाना, बिजनौर	90	90	100 %	1
18	रेहड़	90	90	100 %	1
19	नजीबाबाद	90	90	100 %	1
20	धामपुर	90	90	100 %	1